XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.2034–दो/06 जिला–मण्डला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–7–15	इस प्रकरण में दिनांक 2–7–10 के बाद से आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

TWENTY RUPEES

4

समक्ष:- माननीय राजस्व मंडल, न्यायालय, म.प्र. ग्वालियर
(म.प्र. राजस्व मंडल, ग्वालियर)

राजस्व पुनरीक्षण प्र. क्रं. /06-07 प्रस्तुति दिनांक 11.10.06

श्रीमति दसोदी बाई ठाकुर आयु लगभग 90 वर्ष,
पत्नि जीवन लाल ठाकुर निवासी ग्राम बिझिया
तह. व जिला मण्डला (ग्राम पंचायत बिझिया).... (पुनरीक्षणकर्ता)
आवेदिका

R.M. R
R 2034-II/2006
13.10.06

विरुद्ध

श्रीमति दुर्गावती डोंगसरे आयु लगभग 50 वर्ष, पत्नि
स्व. श्री विपिन बिहारी डोंगसरे (सोनी) निवासी
सदर बाजार मण्डला तह. व जिला मण्डला.... अनावेदक/उत्तरवादी

क्रमांक By Post रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 25-10-06 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल आ. क्र. 2586 दिनांक 25-10-06 ग्वालियर

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 7 म.प्र. वासिदखलकार अधिनियम 1980
रिवीजन पेटीशनर की ओर से निम्न लिखित निवेदन है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिझिया प.ह.नं. 28 राजस्व निरीक्षक मंडल मण्डला तहसील व जिला मण्डला में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 148 रकबा 3.28 एकड़ लगानी 4.50 रुपया का मालिक वर्ष 1927-28 के बंदोबस्त अनुसार लल्लू लाल वल्द नन्हू लाल लोधी निवासी बिझिया था वर्ष 1944-45 से पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका श्रीमति दसोदी बाई ठाकुर का उपरोक्त भूमि के 50×100=5000 वर्गफुट भूमि में कच्चा दखल मकान बना कर अपने परिवार सहित रह रही थी जिसकी जानकारी वर्तमान भू-स्वामी उत्तरवादी श्रीमति दुर्गावती डोंगसरे जो नंदराम बाबू वल्द श्रीराम सोनार मण्डला की पुत्री है की जानकारी में रहा। इस प्रकार आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता वर्तमान खसरा नंबर 148/1 में स्थित भूमि में बने मकान का विगत 60-62 वर्ष से उपयोग/उपभोग करती चली आ रही है यह भी निर्विवाद है कि आवेदिका के द्वारा वर्ष 1945-46 में पूर्व उपरोक्त मकान स्वयं की लागत से बनायी थी।

उपरोक्तानुसार भूमि स्वामी हक की भूमि में पुनरीक्षणकर्ता का रहवासी मकान 5000 वर्गफुट में बने होने के कारण म.प्र. वासिदखलकार अधिनियम 1980 के प्रभावशील होने के कारण तथा वर्ष 1980 के पूर्व निर्मित होने

..2..